	(2) ग्राम साधारण निकाय के प्रत्येक सदस्य जिसे धारा 4 के परन्तुक अथवा लागू किसी अन्य नियम के तहत अयोग्य ठहराया गया हो, ग्राम परिषद में किसी सीट के लिए एक सदस्य के रूप में अथवा इसके फर्स्ट कैप्टन के रूप में अथवा दोनों के संबंध में भरे जाने के लिए पात्र होंगे । बशर्ते कि कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में और फर्स्ट कैप्टन के रूप में चुन लिया जाता है, उसे परिणाम के सरकारी राजपत्र में प्रकशित होने के चौदह दिनों की अवधि के भीतर दोनों से एक पद से त्यागपत्र देना होगा, ऐसा न होने पर ग्राम परिषद में उसका सीट रिक्त हो जाएगा । (3) उप धारा (2) के परन्तुक के तहत इस कारण उत्पन्न रिक्ति की पूर्ति के प्रयोजन के लिए एक उप चुनाव किया जाएगा ।	
	13. व्यक्ति ग्राम परिषद के सदस्य के लिए अथवा इसका फर्स्ट कैप्टन बनाए जाने के लिए इस कारण अयोग्य ठहरता है यदि – (क) वह ग्राम साधारण निकाय के देय कर, शुल्क अथवा अन्य बकाया धन राशि को कर, शुल्क और अन्य धन राशि की अदायगी की नियत तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर अदायगी में असफल होता है; (ख) ग्राम साधारण निकाय अथवा ग्राम परिषद के तहत वैतनिक पद अथवा लाभ का पद धारित हो; (ग) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम परिषद के द्वारा या उसके लिए किए गए किसी कार्य में उसकी भागीदारी या धनीय लाभ हो अथवा ग्राम साधारण निकाय या ग्राम परिषद के साथ अथवा उसके अधीन या उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या रोजगार में लगा हो । (घ) वह सरकारी कर्मचारी है अथवा नगरपालिका, पंचायती राज संस्थान या जनजातीय परिषद का सदस्य है; (ड.) दुराचरण के कारण सरकारी सेवा, नगरपालिका अथवा पंचायती राज संस्थान या जनजातीय परिषद की सेवा से उसे बरखास्त कर दिया गया हो; (च) उसकी आयु इक्कीस वर्ष की नहीं हुई है; (छ) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 109 या धारा 110 के तहत सद्व्यवहार के लिए सुरक्षा प्रदान करने के आदेश दिया गया हो;	अयोग्यताएँ